EDUCATION DEPARTMENT

The 11th July, 1984

No. 50/3/84-EDUI (7).—The Governor of Haryana is pleased to constitute a Publication Committee for the Haryana Sahitya Academy comprising the following:—

1. Deputy Secretary/Joint Secretary to Government, Haryana, Education Department.
2. Controller of Printing and Stationery, Haryana.
3. Director, Haryana Sahitya Academy.

2. The Committee shall lay down general policies and guidelines for the work relating to publication of books such as selection of presses, fixation of rates of printing, purchase of paper etc., for the Haryana Sahitya Academy.

3. The terms of the Committee will be for three years, but the Government may, by express order, reconstitute or dissolve the Committee, as and when they so desire.

4. The Committee shall meet at least once in a year.

5. The Headquarters of the Committee will be at Chandigarh.

6. The members of the Committee shall draw their T.A./D.A., if any in connection with the meetings of the Committee from their respective Departments.

L. M. JAIN,

Commissioner & Secretary to Government, Haryana,
Education Department.

श्रम विभाग

दिनांक 6 अगस्त, 1984

सं० ओ०वि०/एफ०डी०/61-84/28376.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० सुपरटैकस प्लाट नं० 39, सैक्टर 24, फरीदाबाद के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा, इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित, औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामले हैं अथवा विवाद से संगत या सम्बन्धित मामले हैं न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

1. क्या श्रमिक दो जोड़े पैंट, शर्ट तथा एक जोड़ा जूता (बाटा) लेने के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस विवरण में ?
2. क्या श्रमिक वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 का 20 प्रतिशत की दर से बोनस के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस विवरण में ?

मीरां सेठ,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग।

दिनांक 31 जुलाई, 1984

सं० औ.वि./पानीपत/9/84/27551.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० सुपर रबड़ इन्टरप्राइजिज, 17/3 माईल स्टोन, जी. टी. रोड, करनाल, के श्रमिक श्री दमन लाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 19 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबन्धित मामला है:—

क्या श्री मदन लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि./पानीपत/10/84/27557.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० सुपर स्पन इन्टरप्राईजिज 17/3 माईल स्टोन, जी. टी. रोड, करनाल, के श्रमिक श्री लाल बहादुर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 19 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री लाल बहादुर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./पानीपत/11/84/27563.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं. सुपर स्पन इन्टरप्राईजिज, 17/3 माईल स्टोन, जी टी. रोड, करनाल, के श्रमिक श्री जय पाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)-84-3-श्रम, दिनांक 19 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री जय पाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./एफ. डी./114-84/27571.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० पर्फेक्शन इन्जीनियर्स, 14/4, मथुरा रोड, फरीदाबाद के श्रमिक श्री जगरामपाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री जगरामपाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

एस० के० महेश्वरी,
संयुक्त सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग ।